न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री रामदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 29 / 2024

वादीगण

1 जोगाराम 2 हरजीराम पिसरान देहूराम जाति जाट निवासी आदर्श झाक तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड बायतु 2 सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बायतु तहसील बायतु जिला बालोतरा 3 तहसीलदार बाटाडू जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 RTA Act.

उपस्थिति :—

1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील वादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 07/08/24

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा आदर्श झाक पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 31 रकबा 01.7151 हैक्टेयर व खसरा संख्या 43 रकबा 5.4446 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा झाक—काश्मीर सड़क से आदर्श झाक के लिये ग्राम सम्पर्क सड़क योजना के तहत सड़क स्वीकृत की गई, जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। वादीगण के खेत के पूर्वी सेढा की तरफ प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा वादीगण के सेढे को छोड़कर वादीगण की खातेदारी भूमि में बिना वादीगण की सहमति व बिना भूमि अवाप्त किये सड़क का निर्माण कार्य करवाना प्रारम्भ किया। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा बिना वादीगण की अनुमति के तथा बल पूर्वक वादीगण की खातेदारी की भूमि में जेसीबी लगाकर वादीगण के खेत में लगे पेड़—पौधों को नष्ट किया गया जो अनुचित है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा वादीगण की अनुमति के बिना वादीगण की खातेदारी की भूमि में सड़क का निर्माण कार्य करवाने पर उतारू है। लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 43 रकबा 5.4446 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा बिना अवाप्त किये, किसी तरह को कोई हस्तक्षेप नही करे और न ही खड़े पेड़—पौधों को कोई नुकसान पहुंचाये। स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। प्रकरण में पंचायत समिति बायतु एवं तहसीलदार बाटाडू से मौका व रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

पंचायत समिति बायतु के पत्रांक सामान्य / 2024 / 875 दिनांक 05.07.2024 ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा आदर्श झाक पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 31 रकबा 01.7151 हैक्टेयर व खसरा संख्या 43 रकबा 5.4446 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में पंचायत समिति के आदेश क्रमांक ... / 2024—25 / राजकाज रेफरेन्स क्रमांक 8229111 दिनांक 21.06.2024 द्वारा सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित कर रिपोर्ट तलब की गई, जिसके अनुसार ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 04.07.2024 के अनुसार उक्त सड़क का निर्माण जिला कार्यालय समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना बाडमेर के आदेश क्रमांक प.

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.25 13:03:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

19(220)(1)/मनरेगा/2021–22/14014 दिनांक 04.03.2022 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेशांक 900/2021–22 के तहत खसरा संख्या 43 व 45 के खातेदरों के समझौता पत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सड़क निर्माण अन्तर्गत वर्तमान समय तक ग्रेवल बिछाया गया है।

तहसीलदार बाटाडू के पत्रांक एलआर/2024/279 दिनांक 19.03.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि खसरसंख्या 43 के पड़ौसी खसरा संख्या 45 की सीमा पर ग्रेवल बिछाया हुआ है जिसकी पैमाईश करने पर खसरा संख्या 43 की सीमा से एक जरीब यानि 20 मीटर से ज्यादा खसरा संख्या 43 में डाला हुआ है। ग्रेवल सडक के निर्माण में खसरा संख्या 43 में 02 खातेदार है जिसमे से सह खातेदार जोगाराम द्वारा सहमति जताई थी परन्तु सहखातेदार हरजीराम द्वारा सहमति नही जताई गई थी।

वकील वादी बहस सुनी गई। वकील वादी को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079, नक्शा एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के बजट घोषणा संख्या 365 की वितीय स्वीकृति पत्र संख्या डी–367 दिनांक 03.05.2023 प्रस्तुत किया। प्रकट तथ्यों, मौका रिपोर्ट, सहमति पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादीगण की खातेदारी की भूमि मौजा आदर्श झाक पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 31 रकबा 01.7151 हैक्टेयर व खसरा संख्या 43 रकबा 5.4446 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। पंचायत समिति बायतु एवं तहसीलदार बाटाडू की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त सड़क का निर्माण जिला कार्यालय समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना बाडमेर के आदेश क्रमांक प. 19(220)(1)/मनरेगा/2021–22/14014 दिनांक 04.03.2022 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेशांक 900/2021–22 के तहत खसरा संख्या 43 व 45 के खातेदरों के समझौता पत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सड़क निर्माण अन्तर्गत वर्तमान समय तक ग्रेवल बिछाया गया है। सहमति पत्र पर वादीगण के हस्ताक्षर अंकित है। वादीगण के खसरा संख्या 43 व 45 में ग्रेवल सड़क की सहमति के लिए हस्ताक्षर है, जो ग्राम पंचायत एवं काश्तकारों के मध्य समझौता अनुबन्ध है। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है कि वादीगण एवं ग्राम पंचायत झाक के मध्य समझौता पत्र में वर्णित अनुसार खातेदारों की भूमि में सीमांकन कर निर्माण कार्य करे।

अतः वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 मौजा आदर्श झाक पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 31 रकबा 01.7151 हैक्टेयर व खसरा संख्या 43 रकबा 5.4446 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं ग्राम पंचायत झाक के समझौता पत्रक दिनांक 20.12.20[illegible] सीमांकन कर ग्रेवल बिछाने की कार्यवाही करें। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख 07/08/24 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.25 13:03:58 IST
Reason: SelfAttested

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 07/08/24 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर